



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह निदेशक श्री साई बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्शन प्रा0लि0,
आराजी सं0-60, मौजा-बैजलपट्टी, आराजी सं0-39, 48क, 79, 80,
मौजा-दासेपुर, एवं आराजी सं0-4, 3क, 3ख, 5क, 5ख, 7क, 7ख व 27क,
मौजा-अनौरा, परगना-अठगावां, वार्ड-शिवपुर, वाराणसी। मो0नं0-9453785608

पत्रांक:- 44/18 अफोडेबुल ग्रु0हा0/विन्यास/वि0प्रा0/2024-25

दिनांक 18-9-2024

विषय:- आराजी सं0-60, मौजा-बैजलपट्टी, आराजी सं0-39, 48क, 79, 80, मौजा-दासेपुर, एवं
आराजी सं0-4, 3क, 3ख, 5क, 5ख, 7क, 7ख व 27क, मौजा-अनौरा, परगना-अठगावां,
वार्ड-शिवपुर, वाराणसी पर प्रस्तुत अफोडेबुल ग्रुप हाउसिंग मानचित्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें।
आप द्वारा प्रस्तुत संशोधित अफोडेबुल ग्रुप हाउसिंग मानचित्र को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 09.09.
2024 को संशोधित मानचित्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। निम्नलिखित
शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

1. पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. पूर्व स्वीकृत मानचित्र की वैधता 05 वर्ष समाप्त होने के पश्चात 03 वर्ष की वैधता दिनांक 01.03.
2027 तक की समयवृद्धि ऑनलाईन प्रदान की जा चुकी है।
3. विकासकर्ता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार भवन की पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त
करने के पश्चात ही अध्यासन किया जायेगा।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी
(मानचित्र)